राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

(सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ)

क्रमांक :–प.10(614) परि/स.सु./TMC/2019/पार्ट/24259 जयपुर, दिनांक : 24.12.2020

श्रीमान मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित यातायात प्रबंधन समिति की 11वीं बैठक दिनांक 09.12.2020 का कार्यवाही विवरण

श्रीमान् मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित 'राज्य स्तरीय यातायात प्रबंधन समिति' की 11वीं बैठक दिनांक 09.12.2020 को वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों की सूची परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सर्वप्रथम बैठक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय सड़क सुरक्षा समिति की दिनांक 24.11.2020 को राज्य सरकार की ऑनलाईन समीक्षात्मक बैठक में प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना एवं गत बैठक में लिए गए निर्णयों की क्रियान्विति की बिन्दुवार समीक्षा की गयी तथा बैठक में उपस्थित अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार–विमर्श के पश्चात् निम्न निर्देश दिये गये :–

1. अध्यक्ष महोदय द्वारा राज्य में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं एवं उनसे होने वाली मृत्यु दर पर चिंता व्यक्त की गई तथा सड़क दुर्घटनाओं एवं इस संबंध में की गई कार्यवाही की **साप्ताहिक समीक्षा** हेतु राज्य सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, परिवहन विभाग में एक **वॉर रूम** स्थापित करने के निर्देश दिए गए। उक्त वॉर रूम द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्यों के संबंध में समिति की सदस्य स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा दिए गए सुझावों को भी सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया।
2. समस्त सड़क सुरक्षा हितधारक विभागों के विभागाध्यक्षों को वर्ष 2021 हेतु उनके विभाग से संबंधित **सड़क सुरक्षा कार्ययोजना (Action Plan) 7 दिवस** के भीतर राज्य सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, परिवहन विभाग को भेजे जाने हेतु निर्देशित किया गया ताकि राज्य सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ के स्तर पर संकलित कार्ययोजना वर्ष 2021 के प्रारंभ तक तैयार कर क्रियान्विति प्रारंभ की जा सके।
3. अध्यक्ष महोदय द्वारा समर्पित सड़क सुरक्षा कोष से हो रहे कम व्यय को लेकर समस्त हितधारक विभागों को वर्ष 2021 में समर्पित सड़क सुरक्षा कोष से किए जाने वाले कार्यों के विस्तृत प्रस्ताव 7 दिवस के भीतर राज्य सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, परिवहन विभाग को प्रेषित करने तथा पूर्व में आवंटित राशि का पूर्ण उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
4. भविष्य में समर्पित सड़क सुरक्षा कोष का समुचित व समयबद्ध उपयोग सुनिश्चित कराने हेतु राज्य सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ तथा समस्त हितधारक विभागों को निर्देशित किया गया।

Parivahan Bhawan, Sahkar Marg, Jaipur, Rajasthan. 302005. Phone- 0141-2850611, Fax 0141-2740177
Website: www.transport.gov.in, e-mail : addl.rs.tdr@rajasthan.gov.in

5. परिवहन एवं पुलिस विभाग द्वारा विशेष रूप से यात्री/भार परिवहन, ट्रैक्टर–ट्रोली, ट्रेलर इत्यादि तथा गैर मोटर चलित वाहनों में "**No Reflector, No Vehicle**" (**रिफ्लेक्टर नहीं तो वाहन नहीं**) के स्लोगन के साथ रिफ्लेक्टर लगाए जाने हेतु वर्ष पर्यन्त अभियान चलाए जाने के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही वाहन की फिटनेस के समय निर्धारित मानकों के रिफ्लेक्टिव टेप लगाना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
6. समस्त फिटनेस सेंटर्स को "वाहन" सॉफ्टवेयर से अविलंब जोडने का निर्णय लिया गया।
7. सड़क सुरक्षा की दृष्टि से ओवरलोड वाहनों के विरूद्ध नियमित जांच कराने के निर्देश दिए गए। ऐसे व्यवसायिक स्थानों जैसे सीमेंट फैक्ट्री, मार्बल इंडस्ट्रीज़ इत्यादि जंहा से प्रायः ओवरलोड वाहनों का संचालन होता हो, को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग के उड़नदस्तों द्वारा प्रतिदिन बनाए जाने वाले चालानों की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए।
8. सड़क दुर्घटना में घायलों को त्वरित रूप से निकटस्थ चिकित्सालय में ले जाने के लिए एन.एच.ए.आई. की एंबुलेंसों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की 108 सेवा से एकीकृत (Integrate) करने हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा एन.एच.ए.आई. को बैठक शीघ्र आयोजित करने के निर्देश दिए गए।
9. पुलिस विभाग को राज्य में चिन्हित ब्लैकस्पॉट्स के दुरूस्तीकरण के पश्चात् पर्यवेक्षण कर राज्य स्तरीय यातायात प्रबंधन समिति की आगामी बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
10. सड़क संबंधी विभागों के पास ब्लैक स्पॉट्स के दुरूस्तीकरण के लिए फंड उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में समर्पित सड़क सुरक्षा कोष से उपलब्ध करवाए जाने की सहमति प्रदान की गई।
11. समस्त हितधारक विभागों को **माननीय सर्वोच्च न्यायालय सड़क सुरक्षा समिति** द्वारा दिए गए निर्देशों की समयबद्ध पालना सुनिश्चित कराते हुए राज्य सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, परिवहन विभाग को नियमित प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करने के निर्देश दिए गए।
12. माननीय सर्वोच्च न्यायालय सड़क सुरक्षा समिति द्वारा राज्य में कराई गई ऑडिट की अनुशंसाओं की समीक्षा की गई तथा उनकी समयबद्ध क्रियान्विति हेतु समस्त हितधारक विभागों को निर्देशित किया गया।
13. माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा की अनुपालना में तमिलनाडु राज्य की तर्ज पर तैयार किए गए राजस्थान सड़क सुरक्षा मैप 2020 की समयबद्ध क्रियान्विति हेतु समस्त हितधारक विभागों को निर्देश प्रदान किए गए।
14. राज्य सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ से बेहतर समन्वय स्थापित करने हेतु समस्त हितधारक विभागों के स्तर पर **सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ** स्थापित कर उसमें वरिष्ठ नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए गए।

Parivahan Bhawan, Sahkar Marg, Jaipur, Rajasthan. 302005, Phone- 0141-2850611, Fax 0141-2740177
Website: www.transport.gov.in, e-mail : addl.rs.tdr@rajasthan.gov.in

15. राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाएं व मृत्यु दर सर्वाधिक होने के कारण इन राजमार्गों पर नियमानुसार रोड फर्निचर्स की उपलब्धता, उनका नियमित रखरखाव व क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत सुनिश्चित की जावे।

बैठक अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के साथ सम्पन्न हुई।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

(रवि जैन)
शासन सचिव एवं
परिवहन आयुक्त

क्रमांक :–प.10(614) परि/स.सु./TMC/2019/ पार्ट/24260-282 जयपुर, दिनांकः 24.12.2020

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित हैः–

1. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जयपुर।
3. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, परिवहन विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर।
10. निजी सचिव, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, यातायात, राजस्थान, जयपुर।
11. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
12. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
13. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
14. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव तथा सदस्य सचिव, राज्य यातायात प्रबंधन समिति, जयपुर।
15. निजी सचिव, मुख्य महाप्रबंधक एवं क्षेत्रीय अधिकारी, एन.एच.ए.आई., राजस्थान, जयपुर।
16. निजी सचिव, प्रबंधक निदेशक, आर.एस.आर.डी.सी., राजस्थान, जयपुर।
17. निजी सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रिडकोर, राजस्थान, जयपुर।
18. निजी सचिव, क्षेत्रीय अधिकारी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, डी.सी.एम., अजमेर रोड, जयपुर–19।
19. निजी सचिव, अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन), परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
20. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
21. प्रतिनिधि, मुस्कान संस्था, जयपुर।
22. प्रतिनिधि, पीपुल्स ट्रस्ट, जयपुर।
23. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (स.सु)

/1

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 09.12.2020 को आयोजित राज्य यातायात प्रबंधन समिति की ऑनलाईन 11वीं बैठक का उपस्थिति का विवरण

क्र. स	नाम	पद	विभाग का नाम	टेलीफान/मोबाईल नम्बर	हस्ताक्षर
1	Shri Abhay kumar	Pr. Sec.	Transport		
2	Shri Rajesh Yadav	Pr. Sec.	PWD		
3	Shri Bhasker a Sawanth	Pr. Sec.	UDH		
4	Shri Akhil Arora	Pr. Sec.	Finance		
5	Smt. Smita Shrivastava	ADGP	Police		
6	Shri Siddharth Mahajan	Sec.	Medical & Health		
7	Shri Ravi Jain	Sec. and Commissioner	Transport		
8	Shri Uday Sharma (IFS)	MS	RSPCB	9413318933	
9	Shri Harish Sharma	Addl. T.C	Transport		
10	Smt. Nidhi Singh	D.T.C	Transport		
11	Shri Ramanand Sharma	DS	School Eduction		

	नाम	पद	विभाग का नाम	टेलीफान/मोबाईल नम्बर	हस्ताक्षर
12	Shri M.L Choudhary	Chief Engineer	UDH		
13	Shri Vineet Saxena	X.E.N.	UDH		
14	Dr. A.N Mathur	Addl. Director	Medical & Health		
15	Shri Deepak Nandi	J.C., Director	DLB		
16	Shri Promad Kichi	A.E.N.	DLB		
17	Shri Deepak Gara	S.E	PWD		
18	Shri Kuldeep Songara	RS. Cell	NHAI		
19	Shri Mahesh Sharma	SE	RS. Cell Transport		
20	Dr. L.N Pandey	SMO	Rs. Cell Transport		
21	Shri Giriraj Verma	XEN	Rs. Cell Transport		
22	Shri Prakash Thadani	AAO-II	Rs. Cell Transport		
23	Shri Ghanshyam Singh	MVI	Rs. Cell Transport		
24	Smt. Swati Dixit	MVI	Rs. Cell Transport		
25	Smt. Komal Prajapat	IA	Rs. Cell Transport		

Parivahan Bhawan, Sahkar Marg, Jaipur, Rajasthan. 302005, Phone- 0141-2850610, Fax 0141-2740177
Website : www.transport.gov.in, e-mail : addl.rs.tdr@rajasthan.gov.in

	नाम	पद	विभाग का नाम	टेलीफान/मोबाईल नम्बर	हस्ताक्षर
26	Rohitash Meena	SA	Transport		
27	Shri Nandkishor Sharma	Constable	Rs. Cell Transport		
28					
29					
30					
31					

Parivahan Bhawan, Sahkar Marg, Jaipur, Rajasthan. 302005, Phone- 0141-2850610, Fax 0141-2740177
Website : www.transport.gov.in, e-mail : addl.rs.tdr@rajasthan.gov.in